न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः— श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र **05/2016**

अनवान :—

श्री मुरारीलाल शर्मा , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन, बीकानेर

प्रार्थी

—: बनाम :—

श्री आमीन खां पुत्र श्री जले खां जाति मुसलमान(विक्रेता व मालिक) आमीन खां दूध डेयरी, चौखूंटी, रामदेव जी मन्दिर के पास, बीकानेर

अप्रार्थी

::प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011::

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से — श्री महमूद अली, खा.सु.अधिकारी
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से — अनुपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक : 28.06.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री मुरारीलाल शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 15.05.2015 को प्रातः 9.45 बजे अप्रार्थीपक्ष श्री आमीन खां पुत्र श्री जले खां (विक्रेता मालिक) मैसर्स आमीन खां दूध डेयरी चौचूंटी, रामदेव जी मन्दिर के पास, बीकानेर के यहां दुकान पर निरीक्षण दौरान स्टील की टंकी में लगभग 30 लीटर गाय का दूध आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त गाय का दूध में से 2 लीटर नमूना संग्रह हेतु 52 रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी खा.सु.अ., विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त दूध को चार बराबर—बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखी एवं खाली बोतलों में डाला एवं प्रत्येक बोतल में 40—40 बूंदे फॉर्मिलिन की डालकर, इन चारों नमूना बोतलों को ढ़क्कन से एयर टाईट बंद किया। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर कोड एवं क्रमांक एबी—480 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया तथा प्रत्येक नमूने बोतलों को नियमानुसार चपड़ी से सीलबन्द एवं मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, समझाकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किया। उक्त सीलबन्द बोतलों में से एक सीलबन्द बोतल मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 27.07.2015 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई, जिसमें गाय का दूध सबस्टेण्डर्ड का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड गाय के दूध का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुन्दन व्यास की ओर से हिदायत पैरवी में इन्कार करने पर अप्रार्थी पक्ष को आवाजे लगवाई लेकिन अप्रार्थी अथवा इनकी ओर से प्रतिनिधि उपस्थित नहीं आये। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तद्न्तर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी पक्ष की ओर से श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से गाय के दूध का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जन विश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में Milk Fat = Minimum 3.5% की तुलना में 3.1% एवं Milk solids not fat % Min.=8.50% की तुलना में 8.45 प्रतिशत का पाया गया है, जो निर्धारित मानक से कम है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां गाय का दूध सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह भी निवेदन किया है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी का जवाब है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी को डेयरी से दूध का सैंपल बाबत लिखित/मौखिक जानकारी नहीं दी। दूध खरीद नहीं किया ना ही खरीद मूल्य चुकाया। दूध को बोतलों में नहीं भरा ना ही गवाहों के सामने सील मोहर कर चपडी लगायी गयी ना ही कोई केमिकल डाला गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने केवल खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवायें तथा ऑफिस में बैठक समस्त कार्यवाही की है। जांच रिपोर्ट के बारे में कोई पत्र प्रेषित किया। इस प्रकार अप्रार्थी की पुनः जांच के अधिकारों का हनन किया गया। फूड एनालाईसिस की रिपोर्ट के सीरियल नं. 3 से 8 के मापदण्डों के अनुसार खाद्य पदार्थ की रिपोर्ट सही है। केवल Milk Fat मामूली अन्तर पाया गया है। सीरियल नं. 2 Milk solids not fat में मामूली अन्तर पाया गया है, जो 8.50 प्रतिशत की तुलना में 8.45 प्रतिशत है। जो ज्यादा अन्तर नहीं है। खाद्य पदार्थ के अलग–अलग व जलवायु के अन्तर्गत जांच करने पर उनकी जांच में मामूली अन्तर पाया जाना संभव है। उक्त दुग्ध काफी कुछ पशुओं के खानपान पर भी निर्भर करता है। जिस प्रकार का खानपान पशुओं को दिया जाता है उसी पर उनसे दूध प्राप्त किया जाता है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विधि विरूद्ध एवं आधा अधुरा परिवाद खारिज किए जाने योग्य है। खारिज फरमाया जाकर दोषमुक्त किए जाने के आदेश प्रदान करें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिर्पोट क्रमांक एलएस/1034/एक्ट/2015/572 दिनांक 27.07.2015 संलग्न है। इस रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया दूध Milk Fat = Minimum 3.5% की तुलना में 3.1% एवं Milk solids not fat % Min.=8.50% की तुलना में 8.45 प्रतिशत का पाया गया है, जो निर्धारित मानक से कम होने के कारण सबस्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड का दूध विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंधन किया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत 10,000/– (अखरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है।

6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन, बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष को जरिये रजिस्टर्ड डाक पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा), बीकानेर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner